प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

13 अगस्त 2026

सीएजी का सीमा शुल्क पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए राजस्व विभाग -सीमा शुल्क और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशालय विदेश व्यापार के कार्यों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 2026 का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 25 को कल संसद में प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में 106 पैराग्राफ हैं जिनमें एक विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है, इनका कुल राजस्व निहितार्थ ₹**667** करोड़ है। मंत्रालयों/विभागों ने 104 पैराग्राफों को स्वीकार किया हैं और कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करके, एससीएन के अधिनिर्णयन के रूप में `55 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है और सीमा शुल्क के गलत मूल्यांकन के 56 मामलों में `21 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

प्रतिवेदन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं:

I. वित्तीय वर्ष 24 के दौरान, लेखापरीक्षा ने संबंधित आयुक्तालयों/क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारणों को 195 निरीक्षण रिपोर्ट जारी कीं, जिनमें 1,684 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां थीं और जिनका कुल राजस्व निहितार्थ ₹472 करोड़ था। इनमें से, इस प्रतिवेदन में ₹64 करोड़ के राजस्व निहितार्थ वाली 106 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां को शामिल किया गया है जिसमें ***₹667*** करोड़ का राजस्व निहितार्थ शामिल हैं जिन्हें अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के दौरान दोनों मंत्रालयों को जारी किया गया था। शेष मामलों पर संबंधित क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्रालयों/विभागों 106 में से 104 पैराग्राफों को स्वीकार किया हैं और एससीएन जारी करके, एससीएन के अधिनिर्णयन के रूप में `55 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है और सीमा शुल्क के गलत मूल्यांकन के 56 मामलों में `21 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

{पैराग्राफ 2.6}

II. राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए)- अध्याय III

महानिदेशालय विदेश व्यापार और सीमा शुल्क द्वारा आरओएससीटीएल योजना के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता और योजना के समग्र कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी और **₹603.08 करोड़** के राजस्व निहितार्थ वाले परिणामों को प्रतिवेदित किया गया है। वित्त मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने **62.40** लाख की आंशिक वसूली की सूचना दी।

कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नलिखित हैं:

- एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि आरओएससीटीएल स्क्रिप्स जारी करना स्वचालित किया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण कमियां और सत्यापन संबंधी कमियां बनी रहीं, जो दर्शाता है कि स्वचालन प्रक्रियागत सरलीकरण और व्यापार सुगमता के अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।
- मुख्य प्रणालीगत कमियों में स्क्रिप्स का अनियमित या अधिक जारी होना सम्मिलित था, जिसमें प्रतिबंधित ईकाई सूची में रखी गई ईकाईयां सम्मिलित थीं, उचित आशय के बिना अथवा वास्तविक पात्रता से अधिक स्क्रिप्स जारी करना, दोहरे निर्यात लाभों का लाभ उठाना और नियामक समय-सीमा के अंदर ई-स्क्रिप सृजन में देरी सम्मिलित थी। इन कमियों में कुल **₹130.39 करोड़** (डीजीएफटी के अंतर्गत **₹97.62 करोड़** और सीमा शुल्क के अंतर्गत **₹32.77 करोड़**) का राजस्व निहितार्थ था।
- अनुपालन परिप्रेक्ष्य से, लेखापरीक्षा ने निर्यात आय के गैर-प्राप्ति या देरी से प्राप्ति, निर्यातित उत्पादों के गलत वर्गीकरण, गलत अनुसूचियों के कारण गलत प्रोत्साहन दरों को अपनाना, गलत विनिमय दरों के अनुप्रयोग और स्क्रॉल सृजन में देरी या गलत जारी करने के कारण कुल **472.69 करोड़** (डीजीएफटी के अंतर्गत **158.63 करोड़** और सीमा शुल्क के अंतर्गत **314.06 करोड़**) के अनुचित एवं अनियमित अनुदान की पहचान की।

कुछ महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं:

(अ) डीजीएफटी को प्रतिबंधित ईकाई सूची में सम्मिलित ईकाईयों को स्क्रिप्स जारी करने से रोकने के लिए निगरानी और पर्यवेक्षी नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए और उचित आशय के बिना अनियमित जारी किए जाने की जवाबदेही तय करनी चाहिए। (पैराग्राफ 3.7.1)

(आ) डीजीएफटी प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदनों का प्रसंस्करण केवल क्षेत्राधिकारी आरए द्वारा ही किया जाए। आरओएससीटीएल लाभों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, जहां तक संभव हो, स्वचालित सत्यापन

पर विचार किया जा सकता है जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल और अपवाद रिपोर्टिंग द्वारा का सहारा लिया जाए। (पैराग्राफ 3.8.4)

(इ) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली को डीजीएफटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है ताकि प्रतिबंधित ईकाई सूची में आईईसी के लिए आरओएससीटीएल लाभों को स्वचालित रूप से प्रतिबंधित किया जा सके, जबकि ऐसे लाभों की अनुमति केवल उन मामलों में दी जा सके जहां एक स्थगन आदेश जारी किया गया है और यह मान्य है। (पैराग्राफ 3.12.1)

(ई) फेमा, 1999 के अंतर्गत निर्यात आय की प्राप्ति की निगरानी के लिए अनुवर्ती तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि निर्यात आय प्राप्त न होने के मामलों में ब्याज सहित अयोग्य आरओएससीटीएल क्रेडिट की वसूली सुगम हो सके। (पैराग्राफ 3.13.1)

(उ) विभाग गलत वर्गीकरण और अधिक प्रोत्साहन दावों को रोकने के लिए, जहाँ तक संभव है, वैधता नियंत्रण को बेहतर बनाने पर विचार कर सकता है। (पैराग्राफ 3.13.2)

(ऊ) विभाग अतिरिक्त भुगतानों को रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आरओएससीटीएल लाभों की गणना करने के लिए ईडीआई प्रणाली एलईओ तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों को लागू करें। (पैराग्राफ 3.13.3)

(ऋ) विभाग को आरओएससीटीएल लाभों के शीघ्र वितरण की सुविधा के लिए प्रणाली आधारित निगरानी के माध्यम से समय पर स्क्रॉल का सृजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (पैराग्राफ 3.13.4)

{पैराग्राफ 3.1 से 3.16}

III. सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क टैरिफ, अधिसूचनाओं एवं विदेश व्यापार नीति की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रावधानों का अननुपालन - अध्याय IV

47 सीमा शुल्क आयुक्तालयों, डीजीएफटी के 13 क्षेत्रीय प्राधिकरणों और आठ विकास आयुक्तों की नमूना लेखापरीक्षा में आयातित वस्तुओं के गलत वर्गीकरण, अधिसूचनाओं के गलत अनुप्रयोग के कारण लागू सीमा शुल्क के कम मूल्यांकन और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं के उल्लंघन के दृष्टांत सामने आए जिनमें ₹64 करोड़ का राजस्व शामिल है।

{पैराग्राफ 4.4.1 से 4.7.2}